शेखपुरा जिला के अरियरी थानांतर्गत हजरतपुर मंडरो चाँदी मौजा में मेसर्स बालाजी इंटरप्राईजेज के प्रस्तावित पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 17.12.2021 को आयोजित लोक–सुनवाई का वृत।

राज्यस्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरणीय विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/986/2020 दिनांक 09.09.2020 के आलोक में श्री सत्य प्रकाश शर्मा, अपर समाहर्ता जिला शेखपुरा की अध्यक्षता मं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक 17.12.2021 को अपराह्न 11:00 बजे खनन पट्टा स्थल प्लॉट नं0 2068 (P) शेखपुरा जिला के हजरतपुर मंडरो चाँदी में लोक सुनवाई आयोजित की गई।

लोक–सुनवाई की कार्यवाही कि उपस्थति **संलग्न**।

लोक–सुनवाई के दौरान श्री एस0 पी0 राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, बरौनी बेगुसराय के द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

लोक–सुनवाई की कार्यवाही में योजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री आमीर अख्तर ने स्टोन माइनींग योजना के उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना एवं सोसल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि इस प्रस्ताव में विस्थापन की कोई समस्या नहीं है। इस योजना में प्रभाव क्षेत्र की सीमा में कोई पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र अवस्थित नहीं हैं।

मे0 बालाजी इंटरप्राईजेज प्रा0 लि0 के द्वारा कुल– 5.058 हेक्टेयर में पत्थर उत्खनन (Quartzite) का प्रस्ताव है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित परियोजना लीज क्षेत्र में नियमित रूप से पानी का छिड़काव, ढुलाई सड़क पर पानी का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण की रोक–थाम हेतु मशीन का उचित रख–रखाव किया जायेगा एवं वृक्षारोपण किया जायेगा।

इस इकाई में पूरी तरह से सूखी प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इकाई में उत्पादन प्रक्रिया में जल की आवश्यकता नहीं है। उत्पादन प्रक्रिया में कोई बहिस्राव उत्पन्न नहीं होगा। जलग्रहण क्षेत्र के वर्षा जल को दूर ले जाने के लिए एक गारलैंड नाली बनायी जायेगी। खनन के रूप में उत्खन्न अपशिष्ट को एकत्र किया जायेगा और निर्धारित क्षेत्र में संग्रहित किया जायेगा। प्रस्तावित योजना में उत्पादन के समय लगभग 40 कामगारों की आवश्यकता होगी तथा योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रस्तावित परियोजना के लिए 6.65 किलो लीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता है जिसमें भू–गर्भ या भू–स्तरीय जल का उपयोग किया जायेगा।

कॉरपोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के तहत परियोजना लागत का 2 प्रतिशत की राशि को क्षेत्र के विकास एवं लाभकारी योजना में व्यय किया जायेगा। शेखपुरा जिला का District Survey Report के अनुमोदन की प्रत्याशा में इस खनन योजना कि स्वीकृति हेतु यह कार्रवाई की जा रही हैं।

लोक–सुनवाई के अध्यक्ष के द्वारा आम जनता को बताया गया कि आप यहाँ के स्थानीय है। इस परियोजना से संभावित प्रदूषण के निपटान के लिए प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को विस्तार से बताया गया। इसके अलावे पर्यावरण पर और क्या असर पड़ने की सम्भावना है अथवा कोई शंका है, उसे निर्भिकतापूर्वक रखेंगे। आपका सुझाव/मंतव्य/शिकायत को इस लोक सुनवाई के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को भेजा जायेगा।

लोक–सुनवाई में निम्नलिखित विषयों पर सुझाव/अपत्ति दिये गये :–

1. श्री देवन महतो, ग्राम चाँदी द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोगों को खनन कार्य में रोजगार नहीं दिया जाता हैं।

2. श्री देवेन्द्र महतो, ग्राम चाँदी द्वारा बताया गया कि गाँव की सड़क खनन कार्य की वजह से खराब हो चुका है, को नियमित रूप से मरम्मत किया जाना चाहिए, जिससे धूलकणों को नियन्त्रित किया जा सके।

3. श्री शम्भु प्रसाद, ग्राम चाँदी (प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट), मेसर्स बालाजी इंटरप्राईजेज, के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि इस योजना में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी।

4. श्री विजय कुमार, ग्राम हजरपुर मंडरो चाँदी के द्वारा बताया गया कि ब्लास्टीग के समय कंम्पन होता है जिससे घरों में दरार आयी है। प्रस्तावक से यह अनुरोध है कि ब्लास्टीग से उत्पन्न कंम्पन को कम करने का उपाय किया जाये। उन्होंने यह भी बताया कि धुल के दमन के लिए उपयुक्त उपाय सुनिश्चित किया जाये।

5. श्री जितन महतो, ग्राम हजरपुर मंडरो चाँदी के द्वारा बताया गया कि आस–पास के लोगों को इस प्रयोजना में रोजगार दिया जाये।

6. श्री अवधेश दास ग्राम वर्षा (अरियरी) के द्वारा बताया गया कि पर्यावरण सलाहकार द्वारा जो भी बाते कही गयी है उसका पालन सुनिश्चित किया जाये ताकि स्थानीय लोगों को प्रदुषण, कंम्पण इत्यादि की समस्या का से कोई परेशानी नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि आपलोग की बात का ध्यान रखा जायेगा। परियोजना हेतु स्थानीय जनता को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। इस सुनवाई के दौरान जो उपाय सुझाए गए है, पूरा किया जायेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित किया जायेगा। विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन अनिवार्य है। खनन कार्य सरकार के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन/मानक के अनुरूप है, अन्यथा संचालक के विरूद्ध विधि सम्मत करवाई की जा सकती है।

लोक–सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक–सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

17.12.2021

(एस0 पी0 राय)
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,
बरौनी बेगुसराय।

17.12.2021

(सत्य प्रकाश शर्मा)
अपर समाहर्ता,
शेखपुरा।

उपस्थिति सूची

मे0 बालाजी इंटरप्राइजेज द्वारा जिला–शेखपुरा के मौजा–हजरतपुर मंडरोचंडी में प्लॉट नं.–2068 (पी.), ब्लॉक संख्या–27 (रकवा–5.058 हेक्टेयर) से पत्थर उत्खनन प्रस्ताव का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ''लोक सुनवाई'' दिनांक 17.12.2021 (शुक्रवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न खनन पट्टा क्षेत्र, प्लॉट नं.–2068 (पी.) मौजा–हजरतपुर मंडरोचंडी, पो0+थाना+जिला–शेखपुरा में स्थानीय नागरिक/ पदाधिकारीगण की स्व:हस्ताक्षित उपस्थिति–

क्र0स0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	सत्यप्रकाश [illegible]	अपर समाहर्ता (ADM) शेखपुरा	[signature] 17/12/2021
2	एस० के० राय	भूमि सुधार उप समाहर्ता शेखपुरा [illegible]	[signature] 17/12
3	Vikash Mishra	Patna	Mishra
4	Amir Akhtar	Patna	Amir Akhtar
5	विजय कुमार	हजरतपुर मंडरो पो० वृन्दावन	विजय कुमार
6	धर्मेन्द्र महतो	हजरतपुर मंडरो	धर्मेन्द्र कुमार
7	पंकज कुमार	हजरतपुर मंडरो	Pankaj Ku
8	Anant Kumar	Sheikhpura	[signature]
9	प्रदीप महतो	हजरतपुर मंडरो	प्रदीप महतो
10	Pankaj Singh	Sheikhpura	Pankaj
11	रमेश चौधरी	दोस्तनगर	रमेश चौधरी
12	Dhanan[illegible]	Shekhpura	Dhan[illegible]
13	राकेश कुमार	हजरतपुर मंडरो	[signature]
14	Yasmwant	हजरतपुर	Yasmwant

–क्रमशः–

मे0 बालाजी इंटरप्राइजेज मौजा–हजरतपुर मंडरोचंडी, थाना+जिला–शेखपुरा के पत्थर उत्खनन प्रस्ताव का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की उपस्थिति–

क्र0स0	नाम	पता	हस्ताक्षर
15	सुदीन कुमार	हजरतपुर मडरो	सुदीन कुमार
16	मनोज चौधरी	हजरतपुर मडरो	मनोज चौधरी
17	Jabhar Kumar	bhagatapar	Jabhar Kum
18	Dharmendra kumar	Pharpar	Dharmendra kr
19	Ranjit kumar	Gidha	Ranjit kumar
20	मन्टू कुमार	राजपुर	नवादा
21	तिलोकी यादव	कुदावन	तिलोकी यादव
22	राजेश महतो	चांदी	Rajesh
23	भवण यादव	मडरो	भवण यादव
24	Shambu prasad	Candi Sheikhpura	[signature]
25	Anup Kumar sinha	Chandi	[signature]
26	मनोज कुमार	हजरतपुर मडरो	[signature]
27	कुन्दन कुमार	हजरतपुर मडरो	कुन्दन कुमार
28	धर्मेन्द्र मिस्त्री	हजरतपुर मडरो	धर्मेन्द्र मिस्त्री
29	ओंकार प्रसाद	हजरतपुर मडरो चांदी	ओंकार प्रसाद
30	संजीत कुमार	हजरतपुर मडरो चांदी	संजीत कुमार
31	दीपक ताती		दीपक ताती

–क्रमशः–

मे0 बालाजी इंटरप्राइजेज मौजा–हजरतपुर मंडरोचंडी, थाना+जिला–शेखपुरा के पत्थर उत्खनन प्रस्ताव का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की उपस्थिति–

क्र0स0	नाम	पता	हस्ताक्षर
32	मकेशर चौहान		मकेशर चौहान
33	Krishna mahto	हजरतपुर मंडरो	Krishna mahto
34	कपिलदेव महतो	हजरतपुर मंडरो	कपिलदेव महतो
35	सुरेश मांझी	चांदी	सुरेश मांझी
36	रमन महतो	वृन्दावन	रमन महतो
37	मनोहर कुमार	वृन्दावन	मनोहर कुमार
38	जितेन्द्र जी.	चांदी	जितेन्द्र कुमार
39	विनोद कुमार	हजरतपुर	विनोद कुमार
40	Ramjee	HaJRatPur	Ramjee
41	Krishana	HaJRatpur	Kirshna
42	Rajesh	चांदी	[illegible]
43	गोपाल महतो	वृन्दावन	गोपाल
44	कुंदन मांझी	कमार	कुंदन मांझी
45	राम महतो	कमार	राम महतो
46	नरेश यादव	हजरतपुर	नरेश यादव
47	महेश महतो	चांदी	महेश महतो
48	विपुल	चांदी	विपुल

–क्रमशः–

मे0 बालाजी इंटरप्राइजेज मौजा–हजरतपुर मंडरोचंडी, थाना+जिला–शेखपुरा के पत्थर उत्खनन प्रस्ताव का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की उपस्थिति–

क्र0स0	नाम	पता	हस्ताक्षर
49	गणेश कुमार	चाँदी	[illegible]
50	धर्मेश	चाँदी	[illegible]

–क्रमशः–